राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2019

राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2019 : नए भारत की आवाज

समाधान करें और नीति में अपना योगदान करें

<u>भागीदारी के लिए दिशानिर्देश</u>

I. पृष्ठभूमि

माननीय प्रधानमंत्री जी ने 31 दिसंबर 2017 को अपने संबोधन मन की बात में युवाओं को भारत की आवाज बनने के अपने विचार को साझा किया।

''मेरे मन में एक विचार है कि क्या हम भारत के प्रत्येक जिले में एक मॉक संसद का आयोजन कर सकते हैं? जहां 18 और 25 वर्ष की आयु के बीच के युवा एक साथ बैठेंगे और नए भारत के बारे में विचारों का आदान-प्रदान करेंगे और समाधान बताएंगे तथा योजनाओं का खाका तैयार करेंगे। हम अपने संकल्पों को 2022 से पहले किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं? हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों के स्वप्नों के भारत का निर्माण कैसे करेंगे?''

माननीय प्रधानमंत्री जी ने युवाओं को देश से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार प्रकट करने के लिए उन्हें अवसर देने के बारे में विशेष बल दिया ।

''मेरा प्रस्ताव है कि प्रत्येक जिले से एक युवा का चयन करके एक मॉक संसद का आयोजन किया जाए जो इसमें भागीदारी करेंगे और इस बात पर विचार विमर्श करेंगे कि अगले 5 वर्षों में किस प्रकार एक नए भारत का निर्माण किया जा सकता है? हम किस प्रकार अपने संकल्प को वास्तविकता में बदल सकते हैं?''

माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में 12 जनवरी, 2018 को 22वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव के शुभारंभ के समय जिला युवा संसद आयोजित करने की अपनी इच्छा को दोहराया।

II. राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव आयोजित करने के उद्देश्य

* जिला स्तर और इससे ऊपर के स्तर पर युवा संसद में विचार-विमर्श के माध्यम से 18 वर्ष से 25 वर्ष की आयु के उन युवाओं की आवाज सुनना जो अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं परंतु चुनाव में उम्मीदवार के रूप में चुनाव नहीं लड़ सकते ।

* युवाओं को जनता के मुद्दों में सहभागिता के लिए प्रोत्साहित करना, आम आदमी के विचारों को समझना, अपनी राय बनाना और उसे प्रखर तरीके से अभिव्यक्त करना ।

* निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना और उसमें वृद्धि करना ।

* युवाओं में अन्य व्यक्तियों के विचारों के प्रति सम्मान और सहिष्णुता का भाव विकसित करना।

* उनमें यह समझ विकसित करना कि किसी भी चर्चा को व्यवस्थित और कारगर ढंग से करने के लिए नियमों का अनुपालन अनिवार्य है।

* 2022 में नए भारत के विजन पर उनकी राय प्राप्त करना और उनका प्रलेखन करना।
* नीति निर्माताओं और इनका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने वालों को युवाओं के विचारों के बारे में अवगत कराना ताकि उन पर अमल किया जा सके ।

III. भागीदारी के लिए मानदंड.

* युवा संसद में भाग लेने वाले युवाओं की आयु 30 जून 2018 को 18 वर्ष से अधिक परंतु 25 वर्ष से कम होनी चाहिए। इस संबंध में सही सूचना उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व प्रतिभागी का होगा। किसी भी स्तर पर गलत सूचना देने पर प्रतिभागी संसद में भाग लेने के अयोग्य हो जाएगा।

* प्रतिभागी को आयु संबंधी प्रमाण-पत्र (मूल प्रति) देना होगा और इसे डीवाईपी की वॉक-इन प्रक्रिया में जॉच से पहले और जिला युवा संसद (डीवाईपी) शुरू होने से पहले सत्यापित किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज स्वीकार्य हैं- कक्षा 10 प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड। प्रमाण पत्र की एक प्रति आयोजकों को उपलब्ध कराई जानी अपेक्षित है ।

* युवा संसद में भागीदारी के लिए प्रतिभागी का किसी शैक्षणिक संस्थान का छात्र होना अनिवार्य नहीं है।

IV. फॉरमैट

* युवा संसद का आयोजन तीन स्तर पर किया जाएगा:

क) जिला युवा संसद (डीवाईपी) जिला स्तर पर आयोजित की जाएगी । जिला युवा संसद में भागीदारी के लिए युवाओं का चयन करने हेतु स्क्रीनिंग के प्रारंभिक दौर आयोजित किए जाएंगे । स्क्रीनिंग की दो प्रक्रियाओं अर्थात डिजिटल और वाक-इन (walk-in) (इसकी व्याख्या नीचे दी गई है) के माध्यम से युवाओं का चयन किया जाएगा।

ख) राज्य युवा संसद (एसवाईपी): जिला युवा संसद से जूरी द्वारा चयनित युवा राज्य स्तर पर राज्य युवा संसद में भाग लेंगे।

ग) राष्ट्रीय युवा संसद (एनवाईपी) जूरी द्वारा राज्य युवा संसद से चयन किए गए युवा राष्ट्रीय युवा संसद में भाग लेंगे ।
* प्रत्येक स्तर पर आयोजन और भागीदारी के लिए प्रतिभागियों को विषय और विषय-वस्तु उपलब्ध कराई जाएगी ।

V. समय सीमा

- जिला युवा संसद (डीवाईपी) में भागीदारी के लिए स्क्रीनिंग के प्रारंभिक दौर।

क) डिजिटल प्रक्रिया: mygov portal (innovate.mygov.in/youth-parliament) 12 से 18 जनवरी, 2019 पर यूट्यूब वीडियो के माध्यम से प्रतिभागियों का पंजीकरण और विषय-वस्तु को अपलोड करना।

ख) वाक-इन प्रक्रिया: जिलों में नामोदिष्ट संस्थानों पर स्क्रिनिंग : 17 से 19 जनवरी, 2019

- जिला युवा संसद (डीवाईपी) विनिर्दिष्ट जिलों में आयोजित की जाएगी: 24 से 28 जनवरी, 2019
- राज्य युवा संसद (एसवाईपी): 5 से 7 फरवरी, 2019
- राष्ट्रीय युवा संसद (एनवाईपी): 23 से 24 फरवरी, 2019

VI. चयन प्रक्रिया

क: <u>जिला स्तर पर चयन</u>

I. जिला युवा संसद (डीवाईपी) में भागीदारी के लिए प्रारंभिक स्क्रीनिंग: 12 से 18 जनवरी, 2019

1.1: डिजिटल प्रक्रिया: 12 से 18 जनवरी, 2019

प्रतिभागियों को दिए गए विषयों में से किसी एक पर 90-120 सेकेंड का अपना भाषण रिकार्ड करना होगा और उसका वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करना होगा। प्रतिभागी Mygov site (innovate. mygov.in/youth-parliament) रजिस्टर करेंगे, सूचना उपलब्ध कराऐंगे और उसके बाद यूट्यूब वीडियो का लिंक देंगे। इस वीडियो की स्क्रीनिंग दो सदस्यीय स्क्रीनिंग समिति जिसमें अधिमानत: एक शिक्षाविद और एक उस क्षेत्र का विख्यात सदस्य होगा, द्वारा की जाएगी। प्रतिभागियों की संख्या के आधार पर अनेक समितियां गठित की जा सकती हैं।

जिला युवा संसद (डीवाईपी) के लिए प्रतिभागियों का चयन करने के लिए डिजिटल स्क्रीनिंग हेतु मूल्यांकन मानदंड इस प्रकार हैं:

क) वाकपटुता

ख) विषयवस्तु का ज्ञान

ग) विचारों की स्पष्टता

उक्त प्रत्येक मानदंड के लिए 30 अंक होंगे। अंतिम मूल्यांकन 90 अंकों में से किया जाएगा। जिला युवा संसद (डीवाईपी) में भागीदारी के लिए योग्यता के क्रम में प्रति जिला अधिकतम 50 प्रतिभागियों का चयन किया जाएगा।

1.2: वॉक-इन प्रक्रिया: 17 से 19 जनवरी 2019 तक

वैयक्तिक उम्मीदवार भी वॉक-इन कर सकते हैं और निर्दिष्ट स्थानों (जिसे नोडल संस्थान के रूप में जाना जाता है) पर 17 से 19 जनवरी 2019 तक सुबह 10 से शाम 5 बजे तक स्क्रीनिंग के लिए उपस्थित हो सकते हैं। निर्धारित आयु वर्ग का कोई भी युवा निर्दिष्ट नोडल संस्थान में वॉक-इन कर सकता है और पंजीकरण करा सकता है। जिला युवा संसद (डीवाईपी) में भागीदारी के लिए नोडल संस्थान में पंजीकरण करने वाले युवाओं की स्क्रीनिंग 2 सदस्य वाली स्क्रीनिंग समिति द्वारा की जाएगी जो प्रत्येक पंजीकृत युवा को 2 से 3 मिनट तक बोलते हुए सुनेगी। स्क्रीनिंग कमेटी में अधिमान्य रूप से एक शिक्षाविद् और क्षेत्र के एक प्रतिष्ठित सदस्य शामिल होंगे। प्रतिभागियों की संख्या के आधार पर अनेक समितियाँ स्थापित की जा सकती हैं। नोडल संस्थानों का विवरण Annexure-I में दिया गया है, जिसको उक्त लिंक पर भी देखा जा सकता है - innovate.mygov.in/youth-parliament

जिला युवा संसद के लिए वॉक-इन के माध्यम से प्रतिभागियों का चयन करने के लिए मूल्यांकन मानदंड नीचे दिए गए हैं:

(क) वाक दक्षता(आर्टिक्यूलेशन)
(ख) विषय का ज्ञान
(ग) विचारों की स्पष्टता
(घ) आचरण (डीमेनओर)

प्रत्येक मूल्यांकन मानदंड के 25 अंक होंगे। अंतिम मूल्यांकन 100 अंकों में से किया जाएगा। जिला युवा संसद में (डीवाईपी) में भागीदारी के लिए स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा मेरिट के क्रम में प्रति जिले से अधिकतम 50 प्रतिभागियों का चयन किया जाएगा।

2. जिला युवा संसद (डीवाईपी) का आयोजन: 24 से 28 जनवरी 2019

उपरोक्त दो प्रक्रियाओं द्वारा चुने गए युवाओं की जिला युवा संसद (डीवाईपी) का आयोजन निर्दिष्ट जिलों में किया जाएगा। व्यावहारिक कारणों से दो या तीन जिलों को एक साथ क्लब किया जा सकता है ताकि इसमें युवाओं की अधिक भागीदारी और गुणवत्ता हो। इसलिए, देश भर के 494 जिलों में डीवाईपी आयोजित जाएगी और डीवाईपी आयोजित किए जाने वाले जिलों का विवरण Annexure-II में दिया गया है, जिसको उक्त लिंक पर भी देखा जा सकता है -innovate.mygov.in/youth-parliament

ड्रॉपआउट को ध्यान में रखते हुए निर्णायक समिति द्वारा 5 सर्वश्रेष्ठ वक्ताओं के एक पैनल को योग्यता के क्रम में अंतिम रूप दिया जाएगा। प्रत्येक जिला युवा संसद (डीवाईपी) के तीन (3) सर्वश्रेष्ठ वक्ता राज्य स्तर पर भाग लेंगे। डीवाईपी के पैनल के सर्वश्रेष्ठ वक्ताओं को प्रशस्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। सभी प्रतिभागियों को सहभागिता प्रमाण पत्र प्रदान किये जाएगें।

निर्णायक समिति द्वारा राज्य युवा संसद के लिए वक्ताओं के चयन हेतु मूल्यांकन मानदंड नीचे दिए गए हैं :

(क) वाक दक्षता(आर्टिक्यूलेशन)
(ख) विचारों की स्पष्टता
(ग) विषय का ज्ञान
(घ) आचरण (डीमेनओर)

प्रत्येक मूल्यांकन मानदंड 25 अंकों का होगा। अंतिम मूल्यांकन 100 अंकों में से किया जाएगा।

ख: <u>राज्य स्तर पर चयन</u>

राज्य* युवा संसद *(एसवाईपी) का आयोजन: 05 से 7 फरवरी 2019

प्रत्येक डीवाईपी के विजेता राज्य युवा संसद (एसवाईपी) में एक साथ बैठेंगे और निर्णायक समिति की उपस्थिति में विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श करेंगे। एसवाईपी के आयोजन स्थलों का ब्यौरा Annexure-III में दिया गया है, जिसको उक्त लिंक पर भी देखा जा सकता है - innovate.mygov.in/youth-parliament

एसवाईपी से राष्ट्रीय युवा संसद (एनवाईपी) में भागीदारी के लिए वक्ताओं का चयन करने हेतु मूल्यांकन मानदंड इस प्रकार होंगे।

(क) वाक दक्षता(आर्टिक्यूलेशन)

(ख) विचारों की स्पष्टता

(ग) विषय का ज्ञान

(घ) आचरण (डीमेनओर)

प्रत्येक मूल्यांकन मानदंड 25 अंकों का होगा। अंतिम मूल्यांकन 100 अंकों में से किया जाएगा। ड्रॉपआउट को ध्यान में रखते हुए संबंधित निर्णायक समिति द्वारा 4 सर्वश्रेष्ठ वक्ताओं के एक पैनल को योग्यता के क्रम में अंतिम रूप दिया जाएगा। प्रत्येक राज्य युवा संसद (एसवाईपी) के 2 सर्वश्रेष्ठ वक्ता राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेंगे। राज्य के सर्वश्रेष्ठ वक्ताओं के पैनल में चयनित वक्तओं को प्रशस्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। सभी प्रतिभागियों को सहभागिता प्रमाण पत्र प्रदान किये जाएगें।

ग: <u>राष्ट्रीय स्तर पर चयन</u>

<u>राष्ट्रीय युवा संसद (एनवाईपी) का आयोजन</u>

राष्ट्रीय युवा संसद (एनवाईपी) का अंतिम चरण नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। प्रत्येक राज्य के दो (2) विजेता राष्ट्रीय युवा संसद (एनवाईपी) में वक्ताओं के रूप में भाग लेंगे। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक जिले से एक जिला युवा संसद (डीवाईपी) में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाला प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रीय युवा संसद में भागीदारी करेगा। इसलिए, राष्ट्रीय युवा संसद (एनवाईपी) में 700 प्रतिभागियों के भाग लेने की संभावना है जो देश के प्रत्येक जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। यदि राष्ट्रीय युवा संसद में वक्ता के रूप में चयनित युवा अपने जिले का अधिकतम अंक प्राप्त करने वाला प्रतिभागी है, तो उसके बाद जिस प्रतिभागी के अधिकतम अंक है वह उस जिले के प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रीय युवा संसद में भाग लेगा। संबंधित निर्णायक मंडल द्वारा राष्ट्रीय युवा संसद (एनवाईपी) के विजेताओं का चयन करने के लिए मूल्यांकन मानदंड निम्नानुसार होंगे:

(क) वाक दक्षता(आर्टिक्यूलेशन)
(ख) विचारों की स्पष्टता
(ग) विषय का ज्ञान
(घ) आचरण (डीमेनओर)

प्रत्येक मूल्यांकन मानदंड 25 अंकों का होगा। अंतिम मूल्यांकन 100 अंकों में से किया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर 3 सर्वश्रेष्ठ वक्ताओं को प्रशस्ति प्रमाण पत्र के साथ क्रमशः 2 लाख रु, 1.5 लाख रु और 1 लाख रु का पुरस्कार दिया जाएगा। सभी प्रतिभागियों को सहभागिता प्रमाण पत्र प्रदान किये जाएगें।

II: भाषा

युवा हिंदी, अंग्रेजी या उस राज्य सरकार की शासकीय आधिकारिक भाषा का प्रयोग कर सकता है जिससे युवा डीवाईपी की जॉच; डीवाईपी और एसवाईपी के लिए भागीदारी कर रहा हो।

VIII: जूरी

तीनों स्तरों अर्थात जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर जूरी की स्थापना की जाएगी। युवा संसद अर्थात डीवाईपी, एसवाईपी और एनवाईपी, प्रत्येक का मूल्यांकन पांच (5) सदस्य वाली जूरी द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक जूरी में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे:

- सांसद / विधान सभा के सदस्य / प्रख्यात राजनेता
- सेवानिवृत्त / सेवारत अधिकारी जिनमें सेना के अधिकारी भी शामिल हैं
- प्रतिष्ठित कलाकार / सामाजिक हस्ती

- प्रख्यात पत्रकार / लेखक
- शिक्षाविद्

जिला और राज्य स्तर पर, प्रासंगिक स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्तियों को जूरी में शामिल किया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर की समिति में ऐसे व्यक्तियों को जूरी में शामिल किया जाएगा जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रख्यात हों।

IX: चर्चा के लिए विषय:

विभिन्न स्तरों पर चर्चा के लिए विषयों को निम्नलिखित विवरणों के अनुसार जारी किया जाएगा:

1. डीवाईपी के लिए स्क्रीनिंग हेतु डिजिटल प्रक्रिया के लिए विषय: 12 जनवरी 2019
2. डीवाईपी के लिए स्क्रीनिंग हेतु वॉक-इन प्रक्रिया के लिए विषय: 15 जनवरी 2019
3. डीवाईपी के लिए विषय: 22 जनवरी 2019
4. एसवाईपी के लिए विषय:3 फरवरी 2019
5. एनवाईपी के लिए विषय: 20 फरवरी 2019

उपरोक्त प्रत्येक स्तर के विषयों की सूची www.nss.gov.in; www.yas.nic.in और innovate.mygov.in/youth-par पर दी जाएगी।

X: डाटा का ट्रीटमेंट

इस प्रक्रिया में प्रलेखित डाटा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की संपत्ति होगा।

XI: लॉजिस्टिक्स

जिला युवा संसद (डीवाईपी) के लिए, प्रतिभागियों को कोई यात्रा व्यय या कोई अन्य लॉजिस्टिक सहायता प्रदान नहीं की जाएगी। उन्हें सारा खर्च स्वयं वहन करना होगा।

राज्य युवा संसद (एसवाईपी) के लिए, प्रतिभागियों को भोजन और आवास सुविधा प्रदान की जाएगी और उनके यात्रा व्यय (साधारण बस / स्लीपर क्लास ट्रेन किराया) की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

राष्ट्रीय युवा संसद (एनवाईपी) के लिए, प्रतिभागियों को भोजन और आवास सुविधा प्रदान की जाएगी और यात्रा व्यय (साधारण बस / स्लीपर क्लास ट्रेन किराया) की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

*****